

24/14



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 823523

*Handwritten signature/initials*



दिनांक : 07.11.2014

**न्यास विलेख (Instrument of Trust)**

**" राबू दुर्गा राय जनसेवा संस्थान "**  
ग्राम व पोस्ट-बेलऊँ, तहसील-लालगंज, जिला-आजमगढ़

हम कि साकेत राय पुत्र श्री स्व० दुर्गा प्रसाद राय, ग्राम व पोस्ट- बेलऊँ, तह०-लालगंज, जिला - आजमगढ़ का हूँ। हम मुक्ति समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुक्ति के मन मरिदों में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुक्ति की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्राम सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी व व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-भार, साम्प्रदायिकता ताल-मेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में लिंग-भेद, जाति-पाति, छुआ-छुत, ऊँच-नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के सब कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों के अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विद्यालयों में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते

*आमेन राय*  
साकेत राय पुत्र श्री स्व० दुर्गा प्रसाद राय  
बेलऊँ, आजमगढ़

*साकेत राय*  
बेलऊँ, आजमगढ़





2

# भारतीय नैसर्गिक न्यायिक

एक सौ रुपये

RS. 100

ONE

₹. 100

HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(A)

BU 395271

रसर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों, शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं प्राथमिक कालेजों, उच्च शिक्षा के संस्थानों, विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।

4. गर्तमान समय में विज्ञान के जन जीवन को आवश्यक एवं अनिवार्य बना होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उत्तरे सम्बन्धित ज्ञान की जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाई-भार, सम्प्रदायिक ताल-मेल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय कानून के प्रति कटाक्षी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों एवं महिलाओं को जागृत करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
6. न्याय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों के प्रचार एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों परियोजनात्मक के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार रासायनिक प्रतिकारों से रक्षित या अनुप्रादित कराये गयी प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के परे सार्वजन्य होने तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. शिक्षण-मैत्र, जगति-पारि, युवा-धुल, धर्म व सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्व/लिटरेचर आदि की व्यवस्था करना।
8. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्मयन तथा प्रदेश व देश के किसी भी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/गैर तकनीकी शिक्षा/विश्व शिक्षा/शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।
9. स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड-कैम्प, नर्सरी, प्राइमरी, मध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पीजीसी कालेज की स्थापना करना तथा आगन्ती के सौल हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।
10. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कर्मचारि विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- मैट्रिकल इन्जीनियर, पॉलिटेक्निक, डीक पीजीसीएसओ, आईओएसओ में प्रदेश की शैक्षी के लिए कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना एवं पॉलिटेक्निक, इन्जीनियरिंग, जर्मनी, मैट्रिकल आदि एवं प्रबन्धन कालेज आदि स्थापना।

संभाग- 5

उत्तर प्रदेश  
राज्य सरकार  
शिक्षण विभाग

सचिव



उत्तर प्रदेश  
राज्य सरकार  
शिक्षण विभाग

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

₹.50

INDIA NON JUDICIAL



भारत  
FIFTY  
₹ FIFTY  
₹ 7 OCT 2014  
RS.50

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

AP 649027

11. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनके योगदान के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में स्थान पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।
12. अनुसूचित, अनुसूजनगजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोशिश की जायतना करना।
13. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे-सिलाई, कढ़ाई, बर्नाई, वेल्डिंग, स्टीन, इलेक्ट्रॉनिक वायर मैन, डीजल एवं मोटर मशीन, रेडियो एवं टीवी ट्रेनिंग, टर्नरींग, गार्डिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि जैसे-केंद्रों की स्थापना / व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकता अनुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र तथा यातायात खर्च का भ्रदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
14. कार्य प्रसंस्करण जैसे-जैन, उड़ीसी, गुजरात, आंध्र, कन्नड़ तथा अन्य काल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के गिर अन्य उपयोग प्रशिक्षण जैसे-हैन्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृषिगत काम, निवृत्त व्यक्तियों तथा खेत-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विद्यार्थी प्रतिभागीयों को प्रेरकृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।
16. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग उद्देश्य है।
17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियार्थित करना जैसे-गृह, वस्त्र, आदी अर्थ एवं मनसिक रूप से कमजोर बच्चों युवाओं एवं अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग / शरीर बच्चों निराश्रित, अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भ्रक्षण वस्त्र की निर्यात व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाना। विना लागू कानून के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।
18. बूढ़ों के लिए विश्राम केंद्र अथवा पुर्नवास केंद्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन, पढ़ने-लिखने व उन्हें खेतों को पुर्न सुशिक्षा व रतर्नना को।
19. महिला संरक्षण गृह / निवास सुव्यवस्था केंद्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी संरक्षण देना।

कमरा-6

उत्तर प्रदेश  
राज्य/प्रशासनिक  
सहायक  
कर्मचारी

व्यक्तिगत रूप

उत्तर प्रदेश  
राज्य/प्रशासनिक  
सहायक  
कर्मचारी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

FIFTY  
RUPEES

रु.50

RS.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

AP 649484

20. सांघटनिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बराला पर, पूर्वभाला, सुल्तन, शीघातवा, विभिन्नाक्षर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, औरगवाडी, बालवाडी, इगला स्टैंड, प्रशिक्षण हॉल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
21. सरकारी/अर्द्धसरकारी/ग्राइन्डेट व जाली पट्टी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पीछे को बड़े क्षेत्रों पर उद्यान, वृक्षारोपण, शीघरियाँ एवं जड़ी बूटियाँ वाले पीछे का उत्पादन (मैक्सिमल प्लांट) (सौन्दर्य उपयोगी पीछे) (पारित्री कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पीछे या अन्य आर्थिक महत्व वाले पीछे का रोग बनाना। पुराशा एवं संरक्षा की दृष्टि से विद्युत् पीछे की खेती करना।
22. जाली पार्क/योग बार्ड से विद्युत् के पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जर्नाहित योजनाओं को लागू करना तथा खास खेजगार के लिए बार्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एवं अनुदान को तहत खेजगार हेतु उन-उन तक पहुँचाना।
23. राष्ट्रीय एकाग्र मिट्टि के द्वारा विशेषकर संवेदनशील तथा अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकाग्र एवं सम्पूर्ण की भावना का विकास करना।
24. संस्था की उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि, भूकान तथा वाहनों को खरीदना देवना उन्हें किराये या बीज पर लेन-देन करना मार्केट करना या भूकान बनवाना देवना आदि।
25. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आर्थिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हॉल की स्थापना करना, विभिन्न विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित ही सके जैसे - युजिसेक, आईटीआईओएस, डेस्क युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
26. एचए, पार्क/योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेली उद्योग, देवान उद्योग, म्यूसिक/वी चलान, मुर्गी पालन, बराल पालन, तथा इनसे सम्बन्धित शीमारियों की जानकारी रजिस्ट्रार, टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।
27. बी.डी. मिट्टर, सम्बाबुपा, फुलाना गाँवा, भाग, रसीड, एलओसीडीओ या किसी अन्य प्रकार के नया या संजान करने वाली क' उनसे होने वाले शीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे पुस्तकार पत्र के लिए नया मुकेश में मुक्त विश्विन्सालय की व्यवस्था करना।

उत्तर प्रदेश

न्यायिक/उत्तराक्षर

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश  
न्यायिक/उत्तराक्षर  
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

FIFTY  
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

रु.50

RS.50

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

AP 649485

- 28. समाज की व्यापक सुरक्षाओं जैसे-अन्धविश्वास, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता आदि-पाति एवं छुआ-छूत की भावना एवं शैक्षिक भावना के विकास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- 29. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार या आक्रमण/यौन प्रताड़ना, युवतियों का खरीद फरोख्त, पारिवारिक हिंसा, महिला अत्याचार विधाया उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।
- 30. सामुहिक विवाह तथा सामुहिक यौन को बढ़ावा देना-विभिन्न त्योहारों जैसे-होली, दीपावली, दशाहरा, गुर्हरम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे-शादी, भवना, सालगिर, जन्मदिन पर हीनें वाले भोजन तथा अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।
- 31. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योगा जिम्नैस्टिक, जूडो-कराटे, कबड्डी तथा अन्य शास्त्री एवं पारम्परिक शारीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता करना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।
- 32. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी यौवनार्थों की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, जागरूकता/प्रशिक्षण/श्रीम्य सहयोग एवं हेतुधन्य की व्यवस्था करना।
- 33. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण परिवार नियोजन टीकाकरण क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण तथा/की-उ विवरण एवं प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान या रक्तदान शिविर का आयोजन करना।
- 34. एड्स, हीन्सर, टीबी, कोड, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जागरूकता/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा करना तथा जन समाज के तम हेतु केन्द्र, कालेज, मैजिकल कालेज एवं अन्य शिक्षित/पैदा महिला महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
- 35. शारीण शास्त्री क्षेत्रों में निवारित, शूरांगी-झोपड़ी एवं महिला बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पंचजन, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामुहिक खेलना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध करना।
- 36. सरकारी कार्यालयों जैसे-दफ्तर एवं गुस्ता को सजाविल करना।

राज्य/प्रदेश  
ज्याती/भाकराज  
राज्य/प्रदेश  
राज्य/प्रदेश

राज्य/प्रदेश  
राज्य/प्रदेश

राज्य/प्रदेश  
राज्य/प्रदेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

AP 649486

37. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पंचजल, शौचालय नाली, सड़क निर्माण, खण्डजा, पीव, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अन्य सहायता से आवास बनाकर गरीबी रेषा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।
38. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये- नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये-नये शोधित बीजों को उगायने तथा उससे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा तथा तथा सुस्था के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य पर दिलाना। विलहन-दलहन तथा कृषि बमबानी बर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार-प्रसार कराना तथा स्वामी कृषि बमबानी बर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक एवं लाभान्वित कराना।
39. सभी कम्पोस्ट एवं साग-सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले क्षति से लोगों को उन्मुक्त कराना।
40. बजार एवं कस्बा भूमि गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना।
41. जल, वायु, मृदा एवं वन्य प्रदूषण की जानकारी/निर्वाह/उन्मुख होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारण कराने उद्योग।
42. प्राकृतिक आपदा जैसे-हैजा, प्लेग, एड्स, मलेरिया, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गरीब व्यक्तियों एवं पशुओं का संरक्षण एवं पालन करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भोजी रणनीति के लिए सहयोग/जागरूकता/प्रशिक्षित करना। इसके लिए लोगों/संस्था तथा व्यक्तियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग ही शामिल है।
43. सामाजिक असाहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ संयुक्त संरक्षण तथा उनके पोषण मिश्रण तब व अस्पताल की व्यवस्था करना / गो वंशीय जीवों की सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुपालन तथा गोशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अर्थी तथा को संभालना तथा पशुओं के प्रति प्रेम जागरूक करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।

कभरा- 9

उत्तर प्रदेश  
राज्य शासन

साक्षर रस

साक्षर रस  
राज्य शासन  
आवास, अरुणोदय





भारतीय नैर न्यायिक

पचास  
रुपये

FIFTY  
RUPEES

रु.50

RS.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

AP 649488

1. अन्य जिला / प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।
2. सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्य के पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।
3. 5. न्यास मण्डल के अधिकार एवं कार्य:-
4. 1. सामान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासों से सहायता एवं समर्थन स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
5. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न इकाईयों को सुचारु व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इनके लिए समितियों एवं उपसमितियों का संगठन करना।
6. न्यास के अधीन संस्थाओं व समितियों को सुचारु रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
7. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राधिकारों को विशिष्ट रूप में तैयार करना तथा इनके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क धान, चन्दा इत्यादि करना तथा इनकी प्रवृत्तियों में रुचि करना।
8. न्यास के अधीन चलाने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए लाभाधिकारों से शुल्क प्राप्त करना।
9. न्यास के समर्थन की देखभाल करना तथा न्यास के समर्थन के बढ़ावा के लिए सार्वजनिक प्रकाश और आवागमन पथों पर न्यास के समर्थन को नियमानुसार हस्ताक्षरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
10. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं व समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उनके संचालन के बाधित गति को धन कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु में निहित करना।
11. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, विधिकसालयों, शोध केन्द्रों, गीतानों व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आदर्श एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्य को करना।
12. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों,

उत्तर प्रदेश  
न्यायिक न्याय  
न्यायिक न्याय

उत्तर प्रदेश  
न्यायिक न्याय  
न्यायिक न्याय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (12)

27AA 029865

जायेगा। न्यास के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर ही सकता ही पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य न्यायी की देख-रेख में कराया जा सकता है और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य न्यायी का निर्णय सही न्यायियों के लिए माघ एवं अन्विष्ट होगा।

न्यास मण्डल के किसी भी न्यायी अथवा मुख्य न्यायी के त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा लेकिन न्यास मण्डल में इस प्रकार की कोई रिक्त होने के विधिक उत्तराधिकारियों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धित न्यायी उत्तराधिकारी हैं तो उनमें से योग्य एवं न्यायी के प्रति हितैषी भाव रखने वाले पदाधिकारी को न्यास में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव न्यास मण्डल द्वारा बहुमत से किया जायेगा। इन्कार करने की स्थिति में मूलतः न्यायी के वंशावली के दूसरे सदस्य के नाम पर विचार किया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य न्यायी अन्य न्यायियों के रिक्त स्थान की पूर्ति के सम्बन्ध में उक्त रूप में दिये गये उपबन्धों के द्वारा न्यास मण्डल के सदस्यों को अपने मृत्यु के उपरान्त निर्दिष्ट रूप से उत्तराधिकारी न्यायी नियुक्त करने का अधिकार बांशित नहीं होगा।

न्यास मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के शिर्षों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें सम्मान्य बहुमत से न्यास पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राधिकारों के अनुसार नृणांग एवं न्यास मण्डल के न्यायी के रूप में संयोजित कर दिया जायेगा यदि कोई हितैषी व्यक्ति को न्यायी उचित प्रकार से न्यास से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रूप में अयोग्य कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

न्यास द्वारा स्थापित न्यायिक न्यास अथवा अन्य शैक्षिक संस्थान के प्राचार्य एवं शिक्षक तथा शिक्षक संघों के प्रतिनिधि, निरवधारित परिधिभागी अथवा शतवर्षीय के

1. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**  
 2. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**  
 3. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**  
 4. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**  
 5. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**  
 6. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**  
 7. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**  
 8. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**  
 9. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**  
 10. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**  
 11. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**  
 12. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**  
 13. **उत्तर प्रदेश न्यास मण्डल**



93

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 029864

(13)

अन्वय उसके प्रत्येक अक्षरों के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृत या अनुमोदित कानूनी मध्य प्रकाशन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रत्येक सम्पत्ति के पक्ष में सदस्य होने तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. न्याय सम्बन्ध का कोई भी न्यायी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो न्याय का उक्त सम्बन्ध में कोई उपरोक्तान्वय नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित न्यायी इसका लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(घ) न्याय की बैठक एवं वार्षिक अडिक्शन-  
न्याय सम्बन्ध की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक उत्तरव्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्याय के अधीन संवर्धित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रत्येक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यायी द्वारा ही (आयोजी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों) का वार्षिक बैठक में उपस्थित होने अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक के अनुपस्थित व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की यह अनिवार्यता स्वामी जादेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यायी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है।

वार्षिक बैठक में न्याय के वर्ष पर के विषय-कानूनों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर न्याय का खर्च निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर न्याय सम्बन्ध का फैसला अधिकार होगा।

2. मुख्य न्यायी/प्रचार प्रबन्धक की अधिकार एवं कर्तव्य-  
इस न्याय के मुख्य प्रबन्धक को शेष में कार्य करने तथा न्याय द्वारा संचालित संस्थानों एवं विचारणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।  
न्याय से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।  
न्याय की सफल कार्यवाही निश्चित/सिखाराना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।  
न्याय की बैठक को अनुपस्थित कराना तथा उसकी सूचना न्याय सम्बन्ध के सदस्यों को देना।  
न्याय की चल व अचल सम्पत्ति की सूचना करना तथा न्याय के आय-व्यय का हिसाब-किताब बना भिन्नेट न्याय सम्बन्ध के साथ रखना।

अनुसू. 14

स्वायत्त संस्था  
न्यायी



स्वायत्त संस्था  
न्यायी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(15)

27AA 029867

मध्यम से न्यारा की उपाय बढाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यारा की ओर से दरतावेज निम्नलिखित करने के लिए मुख्य न्यायी व एक अन्य न्यायी जिसे की मुख्य न्यायी उचित समझे अधिविस्तार होगे।

यहकि मुख्य न्यायी न्यारा के तारक से रणगणित संस्थाओं एवं समितियों को संघालित करने के लिए भूमि एवं वयन का आय एवं विक्रय कर सकेंगे या किसी बल या अवल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्रवाही कर सकेंगे। न्यास मण्डल की सम्पत्ति या सम्पत्तियों के किचारे पर न संशंका। या वेच संशंका।

यह कि न्यारा को सम्पत्ति को धरि पहुचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यस और उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य न्यायी द्वारा की गयी कार्रवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

न्यास द्वारा रणगणित व संघालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रत्यक्षीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके मण्डल में न्याय मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु यदि किसी परिस्थितिगत ऐसा नही हो सके। तो विवाद को लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय को प्रबन्धन व उत्तरीकी सम्पत्ति की व्यवस्था न्यास में निहित रहेगी।

न्यास की आव-व्याय व लेखा व परीक्षा हेतु मुख्य न्यायी द्वारा परीक्षा की नियुक्ति की जा सकेगी।

न्यास द्वारा न्यास के वेरुद्ध किसी भी शैक्षणिक कार्रवाही का संघालन न्यास के नाम से किया जायेगा, जिसका केवली न्यास की ओर से मुख्य न्यायी द्वारा अथवा मुख्य न्यायी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिगुल न्यायी द्वारा की जायेगी।

न्यास के अधीन रणगणित संस्थाएं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा सुविधा का विवरण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से हार उन कार्य को करेगा। अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस कार्य हेतु नियुक्त करेगा। इसमें अतिरिक्त न्यास मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रवर्धन के लिए सेवाएं व फवार्दियों की भी नियुक्ति करेगा।

अनुसू. 16

न्यायिक न्याय  
न्यायी  
1987

न्यायिक न्याय



न्यायिक न्याय

न्यायिक न्याय  
1987



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(16)

27AAA 029868

न्यास मण्डल, न्यास के लिए वह सभी कार्य जो न्यास के हितों के लिए आवश्यक हैं तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हैं।  
 न्यास के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास की उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति की लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होगी।

शोधना-पत्र

“ बाबू दुर्गा राय जनसेवा संस्थान ” की तरफ से हम साकेत राय न्यासी के रूप में हम घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखकर पढ़ व समझाकर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच-समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धान हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे की न्यास का निश्चित गठन हो सके।

साक्षीगण

हरनाथर मुख्या न्यासी

1. नाम : शिवधर राय उवा श्यामनन्दपुरराय

साकेत राय

पता : श्री २०००० श्री. जेठमन पं. जेठमन न्यास

श्री. श्यामनन्दपुरराय

साकेत राय

2

नाम : DR. A. A. Aelwood

पता : Dalgamji Agaram

“ बाबू दुर्गा राय जनसेवा संस्थान ”  
 शान व फोस्ट-बेल्ट, तहसील-सावनवा  
 जिला-आजमगढ़

टंकणकर्ता - शिवधर राय

(Signature)

मसविदाकर्ता-

DR. A. A. Aelwood

दिनांक - 07.11.2014

१११११५

शिवधर राय

साकेत राय

DR. A. A. Aelwood

साकेत राय

शिवधर राय  
 साकेत राय

साकेत राय




8/25/2020


क्रमांक 24 15/11/20 13-0-220  
 काबू दुर्गा शहर एवं क्षेत्र संख्या 1931 साठ बेलक प्रबंध  
 साठ बेलक शहर दुर्गा प्रसाद राम साठ बेलक  
 साहसिल मारि क जिला 20-0-0  
 दिनेश शर्मा ज. सं. 24  
 लालगंज, आजमगढ़

आवेदन सं०: 202000969003878

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 4262 के पृष्ठ 265 से 284 तक क्रमांक 2437 पर दिनांक 25/08/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
 सुनील कुमार  
 उप निबंधक : लालगंज  
 आजमगढ़  
 25/08/2020

क्रमांक - 1202015060 801333  
 गु. 1931  
 शा.दि. 07-11-20  
 साठ बेलक जिला  
  
 25-11-20

